भूमिका

विवाह में स्त्री का व्यापारीकरण मानव तस्करी का ही एक स्वरूप है जो विशेषकर स्त्रियों के संदर्भ में होने वाली तस्करी है। यहाँ मेरा अर्थ विवाह के अंतर्गत होने वाली खरीद-फरोख्त से है जिसे हम 'विवाह में स्त्री का व्यापारीकरण' की संज्ञा दे सकते हैं। यह अपराध उत्तरी भारत के राज्यों- हरियाणा, पंजाब, उत्तरप्रदेश और राजस्थान में बहुतायत में है लेकिन हरियाणा में यह अपराध सबसे ज्यादा है और बदस्तूर जारी है क्योंकि सामाजिक सहमति और स्वीकृति लगातार बनी हुई है। इसके पीछे मुख्य कारण लड़कियों की कमी का होना है जो कि लिंगाधारित भेदभाव का सबसे बड़ा सूचक है। हरियाणा में लिंगानुपात लगातार कम रहा है, जिसके चलते इस तरह 'वधु-मूल्य' जैसा सामाजिक कलंक इस प्रदेश की एक प्रचलित घटना बनता जा रहा है। यदि हरियाणा को भौतिक दृष्टि से देंखे तो संपन्न राज्यों की पंक्ति में सबसे ऊपर है परन्तु लिंगाधारित सामाजिक मानदंडों की बात करें तो अनेक स्तरों पर भेदभाव देखने को मिलता है जिसका परिणाम- समाज में अनेक तरह से असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है।

यदि आंकड़ों पर नज़र डालें तो पिछली तीन जनगणनाओं में लिंगानुपात में काफी अंतर रहा है, 2011 में 879, 2001 में 861 तथा 1991 में 865 था[1]। जो हरियाणा में स्त्री–पुरुष संख्या में काफी अंतर को दिखा रहा है और अविवाहित अधेड़ उम्र के पुरुषों की संख्या बढ़ती जा रही है जिससे अंतरक्षेत्रीय विवाह का चलन बढ़ता जा रहा है लेकिन अहम् मुद्दा यह है कि उस विवाह को किन विशेष परिस्थितियों में किया जा रहा है और किन माध्यमों के जरिये करवाया जा रहा है, कौनसे चैनल हैं जो इसे मजबूती से कायम करते जा रहे हैं. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विवाह के अंतर्गत स्त्रियों की स्थिति कैसी है? क्योंकि ज्यादातर महिलाओं को या तो दूसरे राज्यों से खरीद कर लाया जाता है या मानव तस्करी के जरिये अगवा करके लाया जाता है।

इस समस्या को समाचार-पत्रों और शोधारित कई टी॰ वी॰ धारावाहिकों में भी बार-बार दिखाया है लेकिन कभी समाज में इस अपराध के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखी बराबर एक मूक सहमति चली आ रही है। अकसर ऐसा देखा गया ही कि पड़ोस में अचानक से कोई ऐसी औरत दिखाई देती है जो ना ही हरियाणवी बोल पा रही है और ना ही समझ पा रही है, लेकिन एक महीने बाद वह गायब हो जाती है, जो देखने से केवल 16-18 साल के बीच होती है। इस तरह की ना जाने कितनी ही घटनाएँ अब तक घटित होती आयी हैं।[2]

समाचार-पत्रों में समय-समय पर अनेक लेख आते रहे हैं - 10 जुलाई 2013, चंडीगढ़ 'द ट्रिब्यून' में ***UN report unmasks gender insensitive Haryana Blames skewed sex ratio for rampant***

---

[1] www.cencus2011.co.in

[2] यह मेरे स्वयं के अनुभव और अवलोकन पर आधारित जो मैंने उस समाज(हरियाणा) की नागरिक होते हुये पाया है।

trafficking of women into state for forced marriages शीर्षक सेलिखा गया कि गिरता लिंगानुपात महिला-तस्करी का सबसे बड़ा कारण है और साथ ही वधु खरीदने का प्रचलन भी बढ़ता जा रहा है तथा ज्यादातर लड़कियां पूर्वोत्तर राज्यों से लायी जाती हैं जो हरियाणा के करनाल, मेवात, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, जींद, यमुनानगर और हिसार में सबसे ज्यादा व्यापारीकरण के तहत लायी जाती हैं।[3] 20 जून 2014 'फर्स्टपोस्ट' में राजेंद्र खत्री ने हरियाणा परिवेश के लोगों के इंटरव्यू के माध्यम से कुछ पक्षों पर बात की है कि गिरते लिंगानुपात और कठोर विवाह नियमों के चलते 'जाट जाति' में वधु खरीदकर कर लाने का प्रचलन सबसे ज्यादा है। राजनैतिक संगठनों की बात करते हुए वो लिखते हैं कि 'भारतीय किसान मोर्चा' के प्रधान ओ.पी.धनखड़ अपने अभिभाषण में कहते हैं यदि बी.जे.पी. सत्ता में आती है तो "विवाह योग्य हर लड़के के लिए बिहार से दुल्हन लायेंगे।[4]"

21अक्तूबर 2011 में प्रसारित 'क्राइम पेट्रोल' धारावाहिक में जुलाई 2011 का एक केस दिखाया गया जो कि हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले के शाहाबाद गांव का है उसमें लड़की को मानव-तस्करी करने वाले गिरोह ने अगवा किया और 50,000 रूपये में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को बेच दिया जहाँ लगातार उसका शोषण हुआ परन्तु पुलिस और परिवार की लगातार कोशिशों से उसे बचा लिया गया।[5] इसी प्रकार एक अन्य मुद्दे पर धारावाहिक 'सत्यमेव जयते' में 6 जून 2012 को प्रसारित अंक में हरियाणा के गिरते लिंगानुपात की समस्या पर बात की गयी और साथ ही यह भी दिखाया गया कि विवाह योग्य लड़कों की तादाद में किस तरह से वृद्धि हुई है कारण यह की उन्हें अपने प्रदेश में, अपनी ही जाति में विवाह के लिए लड़की नहीं मिलती।[6] लेकिन इन सबके बावजूद कुछ ऐसे लेख और ग्रंथ है जिनसे मेरी समझ विकसित हुई जिसके आधार पर एक शोधार्थी के नजरिए से घटनाओं की प्रक्रियाओं को समझने का मौका मिला।

साहित्य का पुनरावलोकन :- इस विषय से संबन्धित पुस्तकें बहुत ही कम हैं जितनी भी अध्ययन सामग्री उपलब्ध हो पायी है उनके आधार पर शोध विषय के कुछ बिन्दुओं पर बात हुई है लेकिन जिस तरह से यह पूरी परिघटना ही मानव-तस्करी की ओर इंगित करती है इस दृष्टिकोण पर सीधे-सीधे किसी ने बात नहीं की कुछ जगह वधू-खरीदने की बात की गयी है लेकिन उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को छोड़ दिया गया है लेकिन फिर भी कुछ पुस्तकें बहुत हद तक इस शोध की गहराई तक पहुंचने में काफी सहायक रहती है।

---

[3] www.thetribune.co.in/india/chandigrah
[4] www.firstpost.com/india/haryana-crisis-bridegrooms-decked
[5] http://youtu.be/XgltBVtQy7Y
[6] http://youtu.be/NG3WygJmiVs

1. **Chaudhary Prem (1994),"*The Veiled Women* Oxford University Press, New Delhi 110001**– इस पुस्तक में डॉ.चौधरी ने हरियाणा विभिन्न पक्षों पर बात करते हुए एक प्रमाणिक और विश्वसनीय काम किया है। वधु मूल्य पर बात करते हुए प्रथम अध्याय में ही '*Socio-Cultural Fall-out of Peasant Economy: Marriage and Bride-price*' में लिखते हुए कहते हैं कि हरियाणा में वधु खरीदने का प्रचलन 50 के दशक से भी पहले का है। जिसके पीछे कुछ वजह प्राकृतिक आपदाएं भी रही हैं. जैसे 1918 में संक्रमण रोग फैलने की वजह से 10% लोगों की मौत हुई जिसके बाद से पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों से 500 से 2000 रूपये में वधु खरीदी जाती थी जबकि उससे पहले 50 रूपये में वधु लायी जाती थी। खासकर जमींदार जातियों में ज्यादा अविवाहित लड़के होने की वजह से वधु खरीदने का रिवाज एक सामान्य प्रचलन बनता जा रहा है. उनके अनुसार उस समय में घटता लिंगानुपात, उच्च कुल में विवाह, बहु विवाह, दहेज़ और विधुर पुनर्विवाह के कारण ऊपरी तबके और निचले तबके में यह प्रथा इन मिले-जुले तथ्यों के साथ मौजूद थी। उस समय ब्रिटिशों ने भी 'संज्ञान के साथ बेटी बेचे जाने' को एक बुरे और बर्बर रिवाज की संज्ञा दी है। उस समय में वधु-मूल्य को मुआवजे के तौर पर लड़के के परिवार वालों की तरफ से दिया जाता था क्योंकि कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था में स्त्री को स्थायी श्रमिक के रूप में देखा जाता है और समकालीन समय में भी वधु-मूल्य इसी धारणा के साथ दिया जाता है। हरियाणा में औपनिवेशिक काल से ही यह रहा है कि बेटी का ऐसे क्षेत्र में विवाह किया जाये जहाँ की जमीन उपजाऊ हो उसके लिये चाहे दहेज़ भी देना पड़े। इस प्रकार से वधु-मूल्य और दहेज लड़की के प्रति एक दोहरा आर्थिक बोझ बन गया। वधु-मूल्य देकर लायी गयी लड़की के प्रति लड़के का परिवार ज्यादा वर्चस्व कायम करने की कोशिश करता है। इस तरह से उत्तरी भारत के ज्यादातर क्षेत्रों में वधु खरीदने का रिवाज बढ़ता जा रहा है। लेकिन वर्तमान समय में यह समस्या पूरी तरह से मानव तस्करी का रूप ले चुकी है जिसके अंतर्गत उनके मनुष्य होने पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रखा है और हर तरह से मानवाधिकारों का हनन हो रहा है इस बात की कहीं न कहीं जिक्र ही नहीं हुआ है लेकिन इस समस्या के अंतर्गत मानवाधिकारों के हनन को उजागर करना आवश्यक है जो कि सीधे-सीधे स्त्री के मानवाधिकरों को एक संस्था में बांध कर शोषित करती है।

2. Blanchet, Therese (2003): *'Bangladeshi Girls Sold a Wives in North India*', Drishti Research Centre, Report for AED, Dhaka-

   बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित 'दृष्टि शोध केंद्र' ने अक्तूबर 2003 में एक रिपोर्ट जारी की जिसमें केस स्टडी के माध्यम से 112 लड़कियों के सम्बन्ध में जानकारी निकाली जिनमें से कुछ बांग्लादेश से मानव-तस्करी के माध्यम से अगवा की गयी थी कुछ माता-पिता की मर्जी से विवाह के

लिए उत्तरी भारत के राज्यों में भेजी गयी परन्तु उनके माता-पिता को यह ज्ञात नहीं था कि उनकी बेटियों को बेचा जायेगा। जिन पुरुषों के साथ उनका विवाह हुआ उनमें से कुछ विधुर थे, कुछ अपाहिज थे तथा कुछ के परिवार काफी गरीब थे। उनमें से अधिकतर महिलाएँ काफी दयनीय स्थिति में जीवन निर्वाह कर रही थी, कुछ महिलाएँ कभी अपने परिवारों से मिल ही नहीं पाई, उनमें से एक को वैश्यालय में बेच दिया गया। इस प्रकार महिला तस्करी का एक बड़ा बाज़ार पनपता जा रहा है। इस रिपोर्ट में बखूबी ये बताया गया है कि किस तरह से मजबूत नेटवर्क इसमें लगा हुआ है और लड़कियों को सेक्स ट्रेफिकिंग का शिकार बनाया जा रहा और विवाह के अंतर्गत भी बेचा जा रहा है लेकिन जो लड़कियां धोखे से हुये विवाह को मानकर जटिल परिस्थितियों में अपना निर्वाह कर रही है उस बात को छोड़ दिया गया है। और उनके मानवाधिकारों का हनन किस तरह से हर स्तर पर लगातार हो रहा है उसे भी कहीं ना कहीं अछूता रखा है। जो मेरे शोध का मुख्य-बिन्दु है।

3. Kaur Ravindar(2004), "*Across-Region Marriages: Poverty, Female Migration and the Sex Ratio*"- इन्होंने अपने आलेख में अंतरक्षेत्रीय विवाह के विषय में बात करते हुए कन्या भ्रूण-हत्या, गरीबी, प्रवासन को विवाह के अंतर्गत होने वाली खरीद-फरोख्त के लिए जिम्मेदार माना हैं. समाजशास्त्रीय निहितार्थों में इसे वर्णित करते हुए 'रविंदर कौर' कहती हैं कि विवाह योग्य लड़कियों का निर्यात ज्यादा लिंगानुपात वाले राज्यों से किया जाता है तथा उन परिवारों से किया जाता जो गरीब होते हैं और जिसमें लड़कियों की संख्या ज्यादा होती है, पितृसत्तात्मक ढांचे में सामंजस्य स्थापित करने का बोझ हमेशा स्त्री पर ही रहता है, क्योंकि जिन परिवारों से लड़कियां लायी जाती है वहाँ की तुलना में वर पक्ष में पितृसत्ता एक घोर व कठोर रूप में विद्यमान होती है, यहाँ तक कि खान-पान की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है (पूर्वोत्तर राज्यों की भोजन की आदतें उत्तरी राज्यों से भिन्न हैं) जबकि महिला श्रम की आवश्यकता दोनों ही परिवारों को होती है फिर भी सांस्कृतिक आधारों पर उनके विचारों और अनुभूति की अनदेखी होती है. अपने इस आलेख में लेखिका 'कोहन और श्रीनिवास' की बात को रेखांकित करते हुए कहती हैं कि विवाह के ये नेटवर्क एवं व्यापार, धर्म, और राजनैतिक नेटवर्क बहुत ही सशक्त हैं और एक दूसरे के साथ एकीकृत हैं. "उत्तरी भारत में सैंकड़ो मील तक यह विवाह का बाज़ार एक जाल की तरह फैला हुआ है जिसमें 1,00,000 से ज्यादा व्यक्ति कई रूपों में परोक्ष और अपरोक्ष रूप से जुड़े हैं"(कोहन 1987)। इस प्रकार इस आलेख में विवाह में बढ़ते स्त्री के वस्तुकरण के पीछे काम करने वाले अनेक तथ्यों को सामने लाने की कोशिश की है। इस आलेख में भी मानवाधिकार के हनन के पक्ष को कहीं न कहीं अछूता रखा गया है।

4. Singh Kumar Awdhesh, Atul Pratap Singh, Parvez Ahmed Khan (2012): Trafficking in women and Children in India: Emerging Perspectives, Issues and Strateties, Sereals Publications New Delhi-110002
   इस पुस्तक में मानव-तस्करी के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों में होने वाली तस्करी के तथ्यों को उजागर किया गया है कि किस प्रकार यह एक सामाजिक समस्या बनती जा रही है, महिलाओं की तस्करी के पीछे क्या-क्या कारण काम कर रहे हैं जिसके अंतर्गत भूमंडलीकरण, गरीबी का स्त्रीकरण, महिलाओं को समाज मे निचले दर्जे का समझा जाना और कुछ क्षेत्रों में गरीबी का ज्यादा होना है साथ ही सामाजिक-सांस्कृतिक कारणों पर भी बात की है लेकिन विवाह के लिए होने वाली तस्करी पर सीधे बात नहीं की है। यहाँ कारणों को बखूबी परिभाषित किया है परंतु जब यह घटना घट चुकी होती है उसके बाद महिला के पास कोई रास्ता नहीं बचता है वह जब इस जीवन को मजबूरन स्वीकार कर लेती है तब उसके जीवन में क्या-क्या परिस्थितियाँ बनती हैं उसका कोई विवरण नहीं है?

5. इसी विषय पर मार्च 2013 मे **शिफ़कुर रहमान खान** अपने लेख 'Bride Trafficking in India'में इस समस्या को विशेष रूप से हरियाणा के संदर्भ में निर्धारित करते हुये बताते हैं कि हरियाणा में 'करेवा'[7] इस तरह की कुछ प्रथाएँ ऐसी हैं जो महिला तस्करी और महिलाओं के यौन शोषण को बढ़ावा देती हैं। इस प्रकार से जो वधू खरीद कर लायी जाती हैं उन्हें 'पारो' और 'मोलकी'[8](जिन्हें खरीदा गया है) के नाम से ही बुलाया जाता है दूसरी बात यह कि उन्हें लड़को के लिए एक **गिफ़्टेड सेक्स टोय** के रूप में ही देखा जाता है! इस समस्या के पीछे सबसे बड़ा कारण लगातार घटता लिंगानुपात है जो कि हरियाणा में पिछले सौ सालों से 870 से कम ही रहा है। जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण कन्या-भ्रूण हत्या और कन्या शिशु हत्या है। साथ ही वधू तस्करी के कारोबार पर बात करते हुये उन्होंने नेटवर्कों के बारे मे भी लिखा है कि क्षेत्र से बाहर कारोबार या रोजगार के लिए जाने वाले लोग जैसे ट्रक चालक, सेना में काम करने वाले लोग, पुलिस आदि होते हैं तथा 7,000/ से लेकर 40,000 तक लड़की की सुंदरता और उसकी यौन-आकर्षकता के अनुसार कीमत होती है।

---

[7] यह एक ऐसी प्रथा है जिसमें पति की मृत्यु के बाद पति के छोटे भाई के साथ विवाह कर दिया जाता है साथ ही पति के अन्य पुरुष रिश्तेदार महिला के साथ यौंन संबंध बनाने के अधिकारी समझे जाते हैं। Chaudhary, Prem (1994): '*The Veiled Women*', Oxford University Press New Delhi 110001

[8] Molki women women in Haryana 2008 EMPOWER PEOPLE

इस लेख में समस्या विशेष को उजागर करने के लिये पत्रकारों, बार में काम करने वालों, पंचायत के प्रतिनिधियों से समूह-चर्चा के माध्यम को अपनाया है (साक्षात्कार और समूह-चर्चा विधि)। अपने लेख में रहमान खान ने बढ़ती समस्या को तो बताया है परंतु जो महिलाएं लगातार इस प्रकार के विवाहों में लायी जा रही हैं उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को नहीं बताया है, दूसरा की किस प्रकार से पितृसत्ता अपने एक और जटिल रूप में गहराती जा रही है इस पक्ष को भी अछूता रखा है। लेकिन साथ ही इसे मानव-तस्करी के मानदंडों से जोड़ कर भी देखा है जिससे मानवाधिकारों के हनन को समझने काफी हद तक मदद मिली है।

इस सन्दर्भ में सीधे तौर पर मेरी शोध समस्या से सम्बंधित पुस्तकों और साहित्य की उपलब्धता की कमी है जिसके सदर्भ में कुछ आलेखों में अलग-अलग क्षेत्रों में कुछ मिले-जुले मुद्दों को उठाया गया है। अब तक जितना भी साहित्य मिला है वह अंग्रेजी भाषा में है परन्तु यह सामाजिक परिघटना भारत के हिंदी क्षेत्रों में ज्यादा मौजूद है इस कारण से हिंदी भाषा में काम होना इसकी एक प्रासंगिकता बनती है और हरियाणा में इस तरह के मामलों की तादाद ज्यादा है.

शोध प्रश्न – जिस तरह की अध्ययन सामग्री प्राप्त हुई और कुछ स्वयं के अनुभवों के आधार पर निम्न प्रश्न सामने उभर कर आते हैं जिनके आधार पर पूरी ही समस्या को बारीकी से समझा जा सकता है और दूसरा यह की इन पक्षों पर बात किए बिना पूरी परिघटना को समझना मुश्किल होगा -

1. **विवाह में स्त्री का व्यापारीकरण क्या है?**
2. **व्यापारीकरण के क्या कारण हैं और वह किस नेटवर्क के तहत होता है?**
3. **विवाह के अंतर्गत खरीदकर लायी गयी महिलाओं मानवाधिकारों का हनन कितनी परतों में गूँथा हुआ है?**
4. **ये महिलाएँ किस प्रकार की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में निर्वाह करती हैं?**

शोध उद्देश्य - शोध कार्य के दौरान इस शोध के मुख्य उद्देश्य विवाह जैसी संस्था के अंतर्गत हो रहे इस अमानवीय प्रचलन की बारीकी से छान-बीन करना तथा मुख्य बिन्दुओं को तलाशते हुये निम्नलिखित पक्षों को उजागर करना है।

1. स्थानीय महिलाओं की प्रस्थिति और खरीदकर लायी गयी महिलाओं की वैवाहिक स्थिति में अंतर का पता लगाना।
2. खरीदकर लायी गयी महिलाओं की पारिवारिक पृष्ठभूमि को जानना जहाँ से लड़कियां लायी जाती हैं।
3. विशेषतः वधु खरीदने का प्रचलन किन जातियों और किस सामाजिक स्तर के परिवारों में प्रचलित है?
4. उन नेटवर्कों को तलाशना जिनके माध्यम से वधुएँ दूसरे इलाकों से लायी जा रही है।
5. यह देखना कि मानव-अधिकारों को संरक्षित करने के लिए इतनी संस्थाएँ होते हुये भी वधू-तस्करी जैसा अपराध जारी रहने के आधार क्या है?

शोध क्षेत्र, समय एवं सीमा- शोध का मुख्य केंद्रीय बिंदु हरियाणा में विवाह के अंतर्गत बढ़ता स्त्री का व्यापारीकरण है इसी संदर्भ में हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में इस शोध कार्य को किया क्योंकि एक अंदाजे के अनुसार जैसा कि भूमिका में बताया की वहाँ काफी तादाद में इस तरह मामले बढ़ रहे हैं। कुरुक्षेत्र जिले को इस आधार पर चुना गया क्योंकि इस जिले में लिंगानुपात का लगातार कम रहना एक विशेष कारण बनता है और कुरुक्षेत्र का लिंगानुपात अन्य जिलों की तुलना में भी लगातार कम रहा है। मेरा शोध क्षेत्र कुरुक्षेत्र जिले का **दयालपुर गाँव** रहा है, कुरुक्षेत्र में कुल छः ब्लाक 419 गाँव हैं।

थानेसर	लाड़वा	ब्बैन	इस्मायलाबाद	पेहवा	शाहबाद	कुल
120	53	45	30	81	90	419

इसमें से थानेसर ब्लाक के दयालपुर गाँव को इसलिए चुना क्योंकि एक तो वह शहर के बिलकुल नजदीक है जिससे बाहरी लोगों(प्रवासित) की आवा-जाही ज्यादा है। दूसरा शैक्षणिक-संस्थान वहाँ काफी हैं तो नौकरी के अवसर भी काफी है जो कि रोज़गार को भी मानव-तस्करी में एक औज़ार की तरह प्रयोग किया जाता है। दूसरा कारण यह था कि अब तक वधू-तस्करी पर जितने काम हुये हैं वह ज़्यादातर जाट या मेव जाति पर ही हुये हैं जैसा कि डा॰ जगमती सांगवान का कहना है कि यह समस्या सवर्ण जातियों में ज्यादा है जैसा कि शोध में सामने भी आया है। हरियाणा की सवर्ण जातियों में से एक रोड़ जाति भी है जिसमें सबसे ज्यादा तादाद में वधू-खरीद कर लायी जा रही हैं। इस जाति पर ज्यादा ऐतिहासिक तथ्य मौजूद नहीं हैं फिर भी **डा॰ राजपाल सिंह नें** *'रोड़ इतिहास की झलक'* में इस जाति के विषय में लिखा है कि यह जाति योद्धाओं की ही एक कौम रही है परंतु समय

की कमी होने कि वजह से ज्यादा विस्तार से

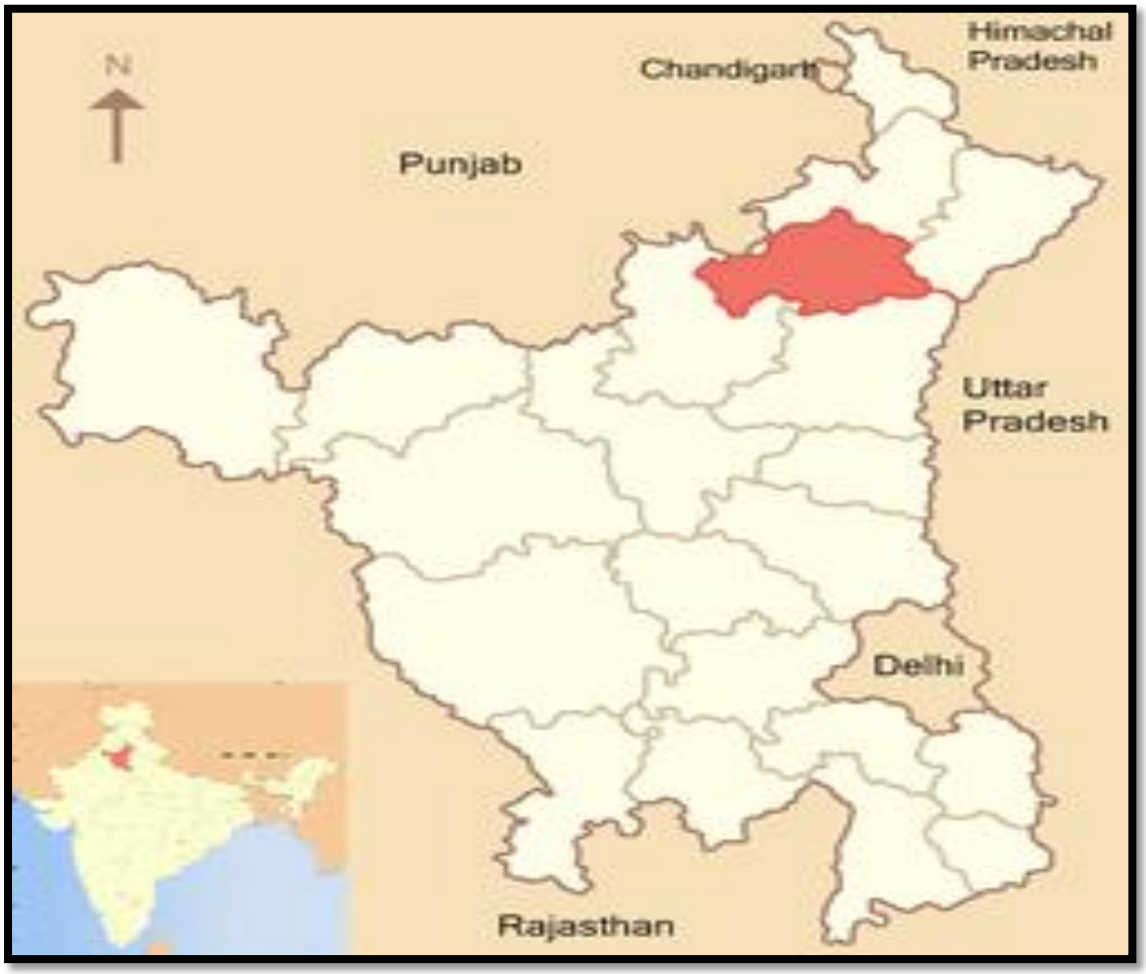

(http://www.mapsofindia.com/maps/haryana/kurukshetra-city.html)

इस पर काम नहीं हो पाया है क्योंकि इसे जानने के लिए अभी कुछ मौखिक इतिहास और फोक लौर(folk lour) को जानना आवश्यक है जिसके लिए भरपूर समय की आवश्यकता है अतः भविष्य में किए जाने वाले शोध जिसे अपनाया जाएगा।

शोध क्षेत्र काफी सीमित और छोटा लिया गया जिसका सबसे बड़ा कारण कम समय का होना दूसरा कारण पूरा शोध मुख्य रूप से वैयक्तिक अध्ययन पद्धति(case study method) को अपनाया गया है। शोध का समय लगभग एक वर्ष था जिसमें समय प्रबंधन इस प्रकार से किया गया-

जनवरी,फरवरी, मार्च	विषय का निर्धारण और साहित्य का पुनरावलोकन, पुस्तकालय अध्ययन

अप्रैल	शोध प्रारूप लेखन
मई और जून	क्षेत्र कार्य(Pilate survey) और साक्षात्कार , संबन्धित साहित्य का संकलन,CWDS पुस्तकालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पुस्तकालय, पंजाब विश्वविद्यालय पुस्तकालय से किया गया।
जुलाई, अगस्त, सितम्बर	क्षेत्र कार्य (केस अध्ययन, साक्षात्कार),
अकतूबर, नवंबर	आंकड़ों का विश्लेषण एवं शोध लेखन।

शोध-प्रविधि – इस शोध को **नारीवादी दृष्टिकोण** से किया गया है जो समाज में व्याप्त समस्याओं की छानबीन करने का ही एक प्रकार है। नारीवादी शोध अध्ययन पुरुष प्रधान और पितृसत्तात्मक और लिंगभेद करने वाले समाज में औरत की सामाजिक प्रस्थिति का अध्ययन करता है (Stanley and wise, 1983: 12)। नारीवादी शोध प्रासंगिक, विस्तृत, अनुभवजन्य है, समाज से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, यह आवश्यक नहीं की कोई प्रत्युत्तर दे परंतु अनुभवी परिघटनाओं और अनुभवों के आधार पर सामाजिक वातावरण को उजागर करता है (Nielsen, 1990: 6; Reinharz, 1992)। महिलाओं के अनुभवों के आधार पर ही उनकी विकृत स्थिति को अनावृत करती है, उनके जीवन और अधिकारों को जानने के लिए केंद्र में जेंडर (socially constructed)को रखा जाता है। अत: नारीवादी नजरिए के साथ गुणात्मक शोध प्रविधि को अपनाया गया है। किसी भी सामाजिक परिघटना की व्यापकता, प्रकृति और गतिशीलता को जानने के लिए गुणात्मक शोध प्रविधि को अपनाया जाना उपयुक्त होगा, जिसके अंतर्गत कार्य-कारण व्याख्या करते हुए **प्रत्यक्ष साक्षात्कार** तथा **केस स्टडी पद्दति, अवलोकन, पुस्तकालय अध्ययन,** का प्रयोग किया गया है। इस शोध कार्य में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही प्रकार के आंकड़ों का संकलन किया गया ।

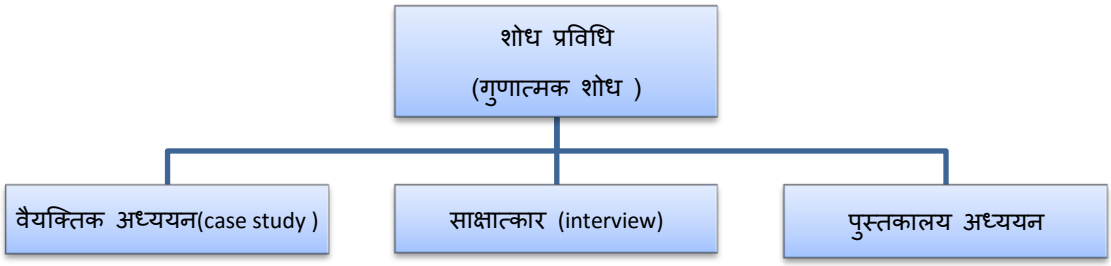

कारण, परिणामों, प्रभावों जानने के लिये तथ्यों का विश्लेषण किया गया। शुरुआत में स्नो-बॉलिंग सैमपलिंग रही तथा शोध लेखन के समय संकलित आंकड़ों में से उद्देश्यपरक(purposive) सैमपलिंग रही है। Empower People एन॰जी॰ओ के CEO शफ़ीकुर रहमान खान का साक्षात्कार, ADWIA secretary डा॰ जगमती सांगवान का साक्षात्कार, डा॰ उमा चक्रवर्ती से कास्ट एंडोगेमी पर बातचीत, डा॰ जानकी अब्राहम से उनके आलेख पर बातचीत, डा॰ राजेश गिल (HOD, sociology dept.Punjab University, Chandigrah) से उनके, विभाग में हो रहे शोध के विषय में जानकारी ली जो कि bride-purchasing को cultural fixation on honor के संदर्भ में देख रहे हैं, डा॰ ऋचा तवंर director women's studies research center, के kurukshetra university से इस मुद्दे पर बात-चित की। **दयालपुर गाँव में कुल 366 मकान हैं जिनमें से 20 घरों में वधू बाहर से (दूसरे राज्यों) खरीदकर लायी गयी हैं। उनमें से 10 महिलाओं से बात-चीत की गयी जिनमें से पाँच केस-अध्ययन को लिया गया जिनका चुनाव उनके अलग-अलग क्षेत्र के जुड़े होने के आधार पर किया गया।** जैसा की सैंपलिंग उद्देश्यपरक रही है क्योंकि एक ही स्थान पर अलग-अलग राज्यों से आने के बावजूद मोलकी महिलाओं के जीवन में किन समस्याओं में समानता है और क्या विभिन्नता है। दूसरी वजह रही इन महिलाओं को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था उनके साथ बात-चीत करना और भी मुश्किल क्योंकि परिवार के सदस्य पति या सास की लगातार उपस्थिति रहना; एक दबाव रहता था, जिससे कुछ मामलों में विस्तार से बात नहीं हो पा रही थी जबकि हर मोलकी औरत अच्छे से अपने हर अनुभव बांटना चाह रही थी परंतु जिनसे अकेले में और

कई बार मुलाक़ात हो पायी केवल उनही महिलाओं से विस्तार से जान पायी और इस पूरे परिघटना चक्कर के आधार को इन महिलाओं के जीवन पर बिना विस्तृत बातचीत के कारण, प्रभाव और परिणामों को जान पाना संभव नहीं था।

इस प्रकार से समस्या से संबन्धित विभिन्न मुद्दों पर बात करते हुये पूरे लघु-शोध को पाँच खंडों में विभाजित किया भूमिका और चार अध्याय हैं। **भूमिका** में शोध के चुनाव के आधारों पर बात की है कि किस तरह से ये समाज की एक गंभीर समस्या होते हुये भी अनदेखी की जा रही है जबकि इस समस्या में स्त्रियों का दोहरा और तिहरा शोषण हो रहा है। इसके अतिरिक्त इसी अध्याय में शोध प्रश्न, शोध उद्देश्य और शोध प्रविधि के साथ-साथ शोध क्षेत्र के विषय में भी बताया गया है। **प्रथम अध्याय 'विवाह में स्त्री का व्यापारीकरण और उसके कारण और नेटवर्क'** इसमें विवाह में स्त्री का व्यापारीकरण क्या है इसके कारण और इस पूरी परिघटना को लगतर बनाए रखने में किस तरह के नेटवर्क काम कर रहे हैं। **द्वितीय अध्याय 'वैयक्तिक नमूना अध्ययन (case studies)'** में क्षेत्र कार्य के दौरान दस वैयक्तिक अध्ययन किए जिनमें से **उद्देश्यपरक सैंपलिंग** के आधार पर पाँच को मुख्य रूप से अध्ययन में शामिल किया गया। **तृतीय अध्याय 'खरीद कर लायी गयी वधुओं का जीवन संघर्ष एवं मानवाधिकारों का हनन '** बाहर से खरीद कर लायी गयी वधुओं के जीवन संघर्ष को देखते हुये यह बताया गया है कि किस प्रकार से विभिन्न स्तरों पर उनके मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। **चतुर्थ अध्याय 'स्थानीय एवं खरीद कर लायी गई महिलाओं के जीवन में पितृसत्ता के प्रभाव का विभेद और सत्ता-संबंध'** में बाहर से लायी गयी औरतों पर स्थानीय महिलाएं किस तरह से अपनी सत्ता दिखाती हैं और मोलकी महिलाएँ शोषण के स्तर पर पितृसत्ता के कठोरतम रूप को झेलती हैं। अंत में निष्कर्ष के रूप में पूरी प्रक्रिया को परिभाषित करते हुये, कारण और परिणामों को तथ्यों के साथ जोड़ते हुये पूरे लघुशोध का विवरण और शोध की संभावनाओं पर बात करते हुये संक्षेपित किया गया है।

क्षेत्र –कार्य अनुभव:- यदि कार्य-क्षेत्र के अनुभव की बात की जाए तो सबसे पहली बात यह रही कि इस शोध विषय पर किसी भी व्यक्ति से बात करना बहुत ही मुश्किल था। सीधे-सीधे इस विषय पर बात करना बहुत ही जोखिम भरा था। लेकिन फिर भी उनके प्रवासन के कारणों उनके यहाँ पर भाषा के स्तर पर महसूस की जाने वाली कठिनाइयों पर बात करते-करते उनके अनुभवों पर बात करते-करते उनके विवाह कि पूरी प्रक्रिया को जानने के लिए वैयक्तिक अध्ययन पद्धति को अपनाया गया। शोध के दौरान स्थानीय लोगों से भी बात–चीत की जिससे समाज कि इन महिलाओं के प्रति क्या प्रतिक्रिया है को बारीकी से समझने की कोशिश की गयी जिसके अंतर्गत स्थानीय महिलाएं और

पुरुष दोनों के नजरिये को समझे बिना इनकी सामाजिक स्थिति को समझना मुश्किल था। लेकिन हरियाणा के गाँव में इस तरह से इन महिलाओं से मिलना जोखिम भरा इसलिए भी था क्योंकि लड़की होने कि वजह से बार-बार कुछ वैयक्तियों ने मुझे बार–बार यह कहकर रोकने की कोशिश कि यह इस प्रदेश की जरूरत है और तुम्हारी पूछताछ से वो लोग चिड़ सकते हैं क्योंकि ये बात तो तय है कि इन औरतों को खरीदा ही जाता है भले ही यह उन औरतों को ना पता हो।